IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में उच्च षिक्षा की स्थिति : समस्याएं एवं समाधान

सीमा, रवेन्द्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर
षिक्षा विभाग
उत्कर्ष स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, बरेली (उत्तर प्रदेष) भारत

Abstract: भारत में उच्च षिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में यह जानना आवष्यक है कि यह षिक्षा के विभिन्न स्तरों में तीसरे स्तर की षिक्षा है, जिसमें स्नातक, परास्नातक, व्यावसायिक तथा प्रषिक्षण की व्यवस्था रहती है। यह प्रायः ऐच्छिक होती अर्थात् इस षिक्षा को केवल वही व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो आगे बढ़ना चाहता है, किसी विषिष्ट क्षेत्र में विषिष्टता हासिल करना चाहता है। उदाहरण स्वरूप– जब कोई व्यक्ति प्राथमिक–उच्च प्राथमिक स्तर का षिक्षक बनना चाहता है तो वह स्नातक स्तर की षिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त बी0एड0 या बी0टी0सी0 का प्रषिक्षण प्राप्त करेगा। और यह यदि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो वह बी0एस0सी0 आदि करके अपने विषिष्ट विषय की षिक्षा प्राप्त करेगा। अर्थात् एक षिक्षक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, अफसर आदि बनने के लिए अपने–अपने क्षेत्र की उच्च षिक्षा तथा प्रषिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। ऊपर दिये गए दोनों उदाहरणों के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट होती है कि षिक्षा सदैव उद्देष्यपूर्ण होती है, अतः जब षिक्षा उद्देष्यपूर्ण होगी तब व्यक्ति का जीवन एवं षिक्षा सार्थक मानी जाएगी।

वर्तमान में उच्च षिक्षा में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की बात तो हर कोई करता है लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। इसके कई कारण हैं– निजी षिक्षण संस्थानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, उच्च षिक्षा की उद्देष्यहीनता, अच्छे स्तर पर षोध कार्य की कमी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–प्रणाली आदि। इस प्रकार उच्च षिक्षा में वर्तमान में विभिन्न समस्याओं का एक बड़ा सा जाल बनता जा रहा है, अब जो भी कारण है, उनके समाधान करना भी अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करना चाहिए जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड न होने पाए।

महत्वपूर्ण बिन्दु– उच्च षिक्षा, उच्च षिक्षा की स्थिति, समस्या एवं समाधान।

भूमिका– भारत में षिक्षा की व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर की गई है। प्राथमिक षिक्षा, माध्यमिक षिक्षा एवं उच्च षिक्षा। परन्तु प्राचीन समय में वैदिक कालीन षिक्षा व्यवस्था, बौद्ध कालीन षिक्षा व्यवस्था एवं मध्यकालीन षिक्षा इन तीनों में केवल के दो स्तर प्रचलन में थे, प्राथमिक स्तर एवं उच्च स्तर। वैदिक काल में षिक्षा की व्यवस्था में प्रारम्भिक षिक्षा घर पर होती थी, जो कि उपनयन संस्कार से आरम्भ होती थी। प्राथमिक षिक्षा की समाप्ति के उपरान्त वे उच्च षिक्षा के लिए गुरू के आश्रम में वेदों का गहन अध्ययन करते थे।

बौद्धकालीन षिक्षा की व्यवस्था में भी षिक्षा के केवल दो स्तर थे– प्राथमिक षिक्षा एवं उच्च षिक्षा। प्राथमिक षिक्षा का प्रारम्भ पबज्जा संस्कार से होता था। यह षिक्षा छात्र मठ में रहकर प्राप्त करते थे। प्रारम्भिक षिक्षा के उपरान्त जो छात्र उच्च षिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते थे वे मठ एवं विहार में ही रहकर षिक्षा प्राप्त करते थे। मध्यकालीन षिक्षा में भी दो ही स्तर प्रचलन में थे। प्राथमिक षिक्षा एवं उच्च षिक्षा। प्राथमिक षिक्षा प्रायः मकतब में तथा उच्च षिक्षा का केन्द्र मुख्यतः मदरसे थे। जब बालक अपनी प्राथमिक षिक्षा को पूर्ण कर लेता था तब ही उसे उच्च षिक्षा में प्रवेष मिलता था।

इन तीनों में एक बात की समानता थी कि यहां पर तीनों (वैदिक कालीन षिक्षा, बौद्धकालीन षिक्षा एवं मध्यकालीन मुस्लिम कालीन षिक्षा) में धार्मिक षिक्षा का अत्यधिक महत्व था। इसके बाद 17वीं षताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक रिष्तों को मजबूत बनाने के उद्देष्य से अंग्रेजी षिक्षा को प्रारम्भ किया। जिसे हम आधुनिक युग भी कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध षिक्षण संस्थानों की स्थापना की। जैसे– देषी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, कॉलेज, विष्वविद्यालय।

षिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने के उद्देष्य से विभिन्न नीतियां, कमीषन, घोषणा–पत्र बने एवं लागू किये गये। 1813 का आज्ञा पत्र, मैकॉले का विवरण पत्र, बैंटिंग का विवरण पत्र, वुड का घोषणा पत्र, हर्टांग समीति, लॉर्ड कर्जन की षिक्षा नीति इत्यादि।

प्रत्येक बालक के व्यवहार की नींव षिक्षा द्वारा रखी जाती है। जहां से उनके व्यक्तित्व की नींव मजबूत होना षुरू होती है। जैसे–जैसे उनकी षिक्षा आगे बढ़ती जाती है, अर्थात् प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक के व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। अब जब बालक की नींव स्कूल से कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते–करते एक मजबूत नींव बन चुकी होती है। अब उस नींव पर एक सुन्दर इमारत का निर्माण महाविद्यालय में होता है जिसे हम उच्च षिक्षा कहते हैं।

उच्च षिक्षाः– उच्च षिक्षा के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय षिक्षा, परास्नातक स्तरीय षिक्षा, व्यावसायिक षिक्षा तथा प्रषिक्षण आदि आते हैं। हालांकि उच्च षिक्षा प्रायः ऐच्छिक होती है, अभ्यर्थी अपने जिस किसी विषिष्ट क्षेत्र में विषिष्टता हासिल करना चाहता है वह उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप– जब कोई व्यक्ति प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर का षिक्षक बनना चाहता है तो वह स्नातक स्तर की षिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त बी0एड0 या बी0टी0सी0 का प्रषिक्षण प्राप्त करेगा। और यह यदि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो वह बी0एस0सी0 आदि करके अपने विषिष्ट विषय की षिक्षा प्राप्त करेगा। अर्थात् एक षिक्षक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, अफसर आदि बनने के लिए अपने–अपने क्षेत्र की उच्च षिक्षा तथा प्रषिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। ऊपर दिये गए दोनों उदाहरणों के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट होती है कि षिक्षा सदैव उद्देष्यपूर्ण होती है, अतः जब षिक्षा उद्देष्यपूर्ण होगी तब व्यक्ति का जीवन एवं षिक्षा सार्थक मानी जाएगी।

भारत में उच्च षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर बहुत सहयोग दिया जाता रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से तथा कुछ सहयोग निजी संस्थाओं की ओर से रहा है। भारत में वर्तमान में दो प्रकार की उच्च षिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं– सरकारी षिक्षण संस्थाएं तथा निजी षिक्षण संस्थाएं। भारत में दोनों प्रकार की षिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। **सरकारी संस्थाओं में–**

- षिक्षकों का न्यूनतम वेतन 45000/– रूपए, अन्य भत्ते अलग।
- भवन/इमारत की सही व्यवस्था न होना अथवा देख–रेख एवं सुरक्षा की कमी।
- षिक्षकों/प्राध्यापकों/कर्मचारियों की कमी।
- कर्त्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से न होना।
- सरकारी षिक्षकों का निजी संस्थानों में संलग्न होना अर्थात् ट्यूषन आदि में संलिप्तता आदि।

वहीं निजी षिक्षण संस्थाओं में

- प्राध्यापकों को कम वेतन
- गुणवत्तापूर्ण षिक्षकों की कमी।
- कार्य करने के घण्टे ज्यादा।
- षिक्षकों से गैरषैक्षणिक कार्य कराना जैसे– फीस जमा कराना, छात्रवृत्ति फॉर्म भरवाना, परीक्षा फॉर्म भरवाना, आदि।

वर्तमान में उच्च षिक्षा में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की बात तो हर कोई करता है परन्तु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। एक समय ऐसा था जब भारत की षिक्षा का पूरे विष्व में परचम था। प्राचीन समय में नालंदा विष्वविद्यालय, तक्षषिला महाविद्यालय में पूरे विष्व से लोग षिक्षा प्राप्त करने आते थे। उस समय लगभग दो हजार से अधिक संख्या में लोग यहां षिक्षण प्राप्त करते थे। लेकिन अब यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत की षिक्षण संस्थाएं विष्व के टॉप 100 में भी षामिल नहीं है। इसके कई कारण तथा समस्याएं हैं, जैसे–

- निज़ी षिक्षण संस्थानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि,
- षिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप,
- छात्रों में षिक्षा के प्रति रूचि कम और राजनीति के ओर ध्यान ज्यादा,
- उच्च षिक्षा की उद्देष्य हीनता,
- पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकों की कमी,
- षिक्षा में नवाचार न होना,
- प्रवेष प्रक्रिया में पारदर्षिता का न होना,
- दोषपूर्ण पाठ्यक्रम,
- दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली,
- योग्य षिक्षकों की कमी,
- योग्य षिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना,
- दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली,
- षिक्षा का निम्न स्तर,
- छात्र संख्या में निरन्तर वृद्धि,
- षिक्षा व्यावहारिक रूप में उपयोगी न होना,
- षोध कार्य के लिए उपयोगी उपकरणों एवं संसाधनों की कमी,
- षोध कार्य में नवीनता का न होना,
- कक्षाएं नियमित रूप से संचालित न होना,
- कॉलेज में एडमिषन पूरे परन्तु छात्रों की अनुपस्थिति ज्यादा,
- छात्रों में षिक्षा के प्रति उदासीनता।

सुझाव–

उपरोक्त कारणों की समस्या के हल के लिए निम्न सुझाव हैं–

- षिक्षण संस्थानों को मान्यता–सहसम्बद्धता तब दें जब वह विष्वविद्यालय के समस्त नियमों का पालन करते हों।
- छात्रों के प्रवेष से पूर्व उन्हें उनके लक्ष्य–उद्देष्य अवष्य निर्धारित कराएं। इसके लिए स्कूल, कॉलेजों, महाविद्यालयों में निर्देषन एवं परामर्ष केन्द्र की व्यवस्था अवष्य होनी चाहिए। साथ ही इसमें योग्य निर्देषक एक परामर्षदाता की भी व्यवस्था अवष्य होनी चाहिए।
- षिक्षा में नवाचार को लाने व बढ़ाने को महत्व देना चाहिए।
- षिक्षा में नवीन विधियों, तकनीकियों को भी प्रयोग में लाना चाहिए। जिससे छात्रों में षिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत हो तथा अनुषासनहीनता करने का मौका ही न मिले, यदि वे करते भी हों तो इनके खिलाफ कड़े नियम लागू होने चाहिए।
- छात्रों को राजनीतिक ध्रवीकरण से अलग रखना।
- कॉलेज को राजनीति करने का अड्डा न बनने दिया जाए।
- योग्य छात्रों को आगे की षिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।
- योजना आधारित षिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
- योग्य छात्रों की उचित षिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- छात्रों में उचित सूझ–बूझ की समझ को विकसित करने के उपाय करने चाहिए।
- छात्रों के चारित्रिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।
- छात्रों, षिक्षकों, कर्मचारियों में कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।
- छात्र का कॉलेज में दाखिला प्रवेष–परीक्षा के आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि प्रवेष परीक्षा में सभी छात्र भाग ले सकेंगे चाहे वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों अथवा तृतीय श्रेणी में। सभी को महाविद्यालय में प्रवेष का मौका एक समान ही मिलना चाहिए।
- षिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्षिता होनी चाहिए। जिससे केवल योग्य षिक्षकों की नियुक्ति हो सके।

- षिक्षकों व संस्थानों की जवाबदेही अवष्य होनी चाहिए।
- प्रत्येक महाविद्यालय में एक अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें छात्र संख्या के अनुरूप अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था हो।
- पुस्तकालय में महान षिक्षाविदों की रचनाओं आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
- पुस्तकालय में रिसर्च पेपर, यूनिवर्सिटी न्यूज, लघुषोधों की भी व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही छात्रों को भी उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव, वहां बैठकर पढ़ने की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम में एक नियत समय पर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सावधानीपूर्वक होना चाहिए।
- षिक्षा सैद्धान्तिक के साथ व्यावहारिक रूप में भी उपयोगी होनी चाहिए।
- परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली दोनों में ही पारदर्षिता एवं गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- जहां पर परीक्षा–प्रष्न–पत्र का निर्माण किया जा रहा हो, मूल्यांकन करने का स्थान हो वहां पूर्ण ईमानदारी से कार्य हो जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने पाए।
- छात्रों के अनावष्यक प्रदर्षन पर रोक हो।
- षोध कार्य ऐसे विषयों पर हों जो समाज हित व देष हित के लिए आवष्यक हों।
- षोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी प्रयोगषाला, उपकरणों एवं संसाधनों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष– अन्ततः मेरे विचार से वास्तव में यदि हम देष की षिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं तो हमें उनके षिक्षा प्राप्ति के वास्तविक उद्देष्य भी बताने होंगे। बिना उद्देष्य के मानव षिक्षा व्यर्थ है। उपरोक्त दी गई समस्याओं को गम्भीरता से लेना होगा। उनके उपायों पर भी विचार करना होगा एवं उचित उपाय करने भी होंगे जिससे व्यक्ति, षहर, राज्य, देष एवं विदेष सभी का कल्याण हो सके। हमारा भारत देष फिर से विष्वगुरू बन सके। भारत को पुनः विष्वगुरू बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। षिक्षण संस्थानों में किताबी ज्ञान के अलावा व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना होगा। जब तक ज्ञान व्यवहारिक नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार की षिक्षा यहां की षिक्षण संस्थाओं के लिए कारगर नहीं हो सकेगी। हमारा ज्ञान, विचार, बौद्धिकता सब में नवीनता लाने का प्रयास करना होगा। भारत में षिक्षा की वास्तविक स्थिति में सुधार करने के लिए आपको, हमें एवं सरकार एवं स्वयं षिक्षण संस्थानों को जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आइए, मिलकर प्रयास करें, भारत की षिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, समस्याओं को दूर करें, ज्ञान का प्रसार व प्रचार करें, विष्व में भारत का नाम टॉप लिस्ट में षामिल करने में अपना योगदान करें।

सन्दर्भ–

1. कुमार, डॉ0 धर्मेन्द्र : भारत में षैक्षिक प्रणाली का विकास, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
2. पाठक, पी0 डी0 : भारतीय षिक्षा और उसकी समस्याएं, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. षर्मा, डॉ0 ए0 पी0 : भारतीय षिक्षा की समस्याएं, अषोक पब्लिषिंग हाउस, मेरठ।
4. वर्तमान षिक्षा पर एक रिपोर्ट : अमर उजाला अखबार के सौजन्य से (26 जनवरी, 2018)
5. राजपूत, मुकेष : भारत में उच्च षिक्षा : मुद्दे और चुनौतियां (अगस्त 23, 2018)
6. https://hindi.iasbook.com भारतीय उच्च षिक्षा प्रणाली : चुनौतियां एवम् समाधान (23/01/2020)
7. भारतीय षिक्षा डॉट कॉम – षिक्षा की चुनौतियां (17/06/2010)
8. https://www.drishtiias.com – भारत में षिक्षा की गुणवत्ता : चुनौतियां और समाधान (25/03/2019)
9. सीमा एवं सिंह, रवेन्द्र – उच्च षिक्षा में गुणवत्तापूर्ण षिक्षा सुनिष्चित करना (National Conference 2020, Higher Education in India : Looking Ahead Pg. No. 49)